रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102021-230223
CG-DL-E-07102021-230223

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 7, 2021/आश्विन 15, 1943
No. 581]	NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 7, 2021/ASVINA 15, 1943

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 723(अ).--केन्द्रीय सरकार, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन स्कीम का संक्षिप्त नाम बालकों के लिए प्रधानमंत्री देखरेख स्कीम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएं**:--

(1) इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "खाता" से इस स्कीम के अधीन डाकघरों में खोला गया खाता अभिप्रेत है;

(ख) "खाताधारक" से फायदाग्राही बालक अभिप्रेत है, जिसके नाम से खाता धारण किया जाता है;

(ग) "अधिनियम" से सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है ;

(घ) "संबंधित प्राधिकरण" से समन्वय और स्कीम के समग्र प्रबंधन के प्रयोजन के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ङ) "घटना की तारीख" से 11.03.2020 से 11.12.2021 के बीच की तारीख अभिप्रेत है, जिसके दौरान बालक, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, के माता-पिता दोनों या अंतिम उत्तरजीवी माता-पिता या दोनों दत्तक माता-पिता या एकल विधिक संरक्षक की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु हो गई है;

(च) "खाता खोलने की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको स्कीम के अधीन खाता खोला जाता है;

(छ) "प्ररूप" से इस स्कीम से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ज) "साधारण नियम" से सरकारी बचत संवर्धन साधारण नियम, 2018 अभिप्रेत है;

(झ) "संयुक्त खाताधारक" से संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है, जो इस स्कीम के अधीन खाते के प्रचालन के प्रयोजन के लिए संरक्षक के रूप में कार्य करेगा;

(ञ) "स्कीम मार्गदर्शन" से बालकों के लिए प्रधानमंत्री देखरेख स्कीम, 2021 पर महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शन अभिप्रेत हैं;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम और साधारण नियमों में है ।

3. खाता खोलना – (1) किसी पात्र फायदाग्राही, जिसने घटना की तारीख को, जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो खाता खोलने की तारीख को अठारह वर्ष का नहीं हुआ है, के लिए स्कीम मार्गदर्शन के अनुसार संयुक्त खाताधारक के रूप में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ फायदाग्राही के नाम से खाता खोला जा सकेगा:

परंतु स्कीम मार्गदर्शन के अधीन अन्यथा पात्र किसी फायदाग्राही के लिए एकल खाता खोला जा सकेगा, जो खाता खोलने की तारीख को अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु का है ।

(2) इस स्कीम के अधीन पैरा 3 के उप पैरा (1) के अधीन यथाउपबंधित के सिवाय कोई संयुक्त खाता नहीं खोला जाएगा ।

(3) प्ररूप 1 में खाता खोलने के लिए आवेदन के साथ स्कीम दिशानिर्देशों के अधीन पात्र फायदाग्राही के संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज संलग्न होंगे ।

4. जमा :-- (1) अग्रिम एकमुश्त अभिदाय केवल पीएम केयर निधि से, खाता खोलने के एक मास के भीतर नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा :--

(आयु आधारित अग्रिम एकमुश्त अभिदाय उपदर्शित करते हुए सारणी)

सारणी

खाता खोलने के समय पात्र फायदाग्राही की आयु	परिपक्वता (वर्ष की संख्या)	अग्रिम एकमुश्त अभिदाय (रुपए में) (निकटतम रुपए)
1 वर्ष	17	2,87,870
2 वर्ष	16	3,09,750
3 वर्ष	15	3,33,290
4 वर्ष	14	3,58,620
5 वर्ष	13	3,85,870
6 वर्ष	12	4,15,200
7 वर्ष	11	4,46,750
8 वर्ष	10	4,80,710
9 वर्ष	9	5,17,240
10 वर्ष	8	5,56,550
11 वर्ष	7	5,98,850
12 वर्ष	6	6,44,360
13 वर्ष	5	6,93,330
14 वर्ष	4	7,46,030
15 वर्ष	3	8,02,720
16 वर्ष	2	8,63,730
17 वर्ष	1	9,29,370
18 वर्ष और उससे उपर	0	10,00,000

(2) पीएम केयर निधि से एकमुश्त अभिदाय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पात्र फायदाग्राही की आयु आगामी जन्म की तारीख को पूरे हुए वर्ष की संख्या होगी ।

उदाहरण स्वरूप – 4 मास की आयु के पात्र फायदाग्राही के लिए अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय एक वर्ष की आयु के लिए विनिर्दिष्ट रकम होगी । इसी प्रकार, 12 वर्ष 9 मास की आयु के पात्र फायदाग्राही के लिए अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय रकम 13 वर्ष की आयु के लिए विनिर्दिष्ट रकम होगी । मासों और दिनों की किसी भी संख्या को अगले पूर्ण वर्ष में पूर्णांकित कर दिया जाएगा ।

(3) पैरा 4 के उप-पैरा (2) के अनुसार संगणित आयु आधारित अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय, सारणी निर्दिष्ट करके खाता धारक के खाते में जमा कर दिया जाएगा तथा अपफ्रंट अभिदाय 10 लाख रुपए होगा जब खाता धारक की आयु 18 वर्ष हो जाती है ।

(4) खाता धारक के 18 वर्ष की आयु का होने पर, 10 लाख रुपए की निधि के साथ उक्त खाता, खाता धारक का एकल खाता हो जाएगा तथा खाता धारक के 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु का होने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 पर लागू ब्याज की दर लगेगी ।

(5) अन्यथा पात्र फायदाग्राही हेतु किन्तु जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का पैरा 3 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अधीन खाता खोलने की तारीख को हो गया है, 10 लाख रुपए का अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय पात्र फायदाग्राही के नाम पर एकल खाते में जमा किया जाएगा तथा 10 लाख रुपए की निधि पर खाताधारक के 23 वर्ष की आयु का होने तक अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय के जमा होने की तारीख से उस अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 पर लागू उसी प्रचलित ब्याज की दर लगेगी ।

5. **जमा पर ब्याज** – (1) पात्र फायदाग्राही के खाते में अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय 10 लाख रुपए हो जाएगा जब खाताधारक की आयु 18 वर्ष हो जाती है ।

(2) यदि खाता पैरा 4 के उप-पैरा (5) में खोला गया है, तो खाता मासिक ब्याज स्कीम के रुप में प्रचालित होगा और मासिक ब्याज खाते में अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय के जमा होने की तारीख से एक मास पूर्ण होने पर खाता धारक को संदेय होगा ।

(3) 10 लाख रुपए की निधि के साथ एकल खाता, खाता धारक के 18 वर्ष का होने पर मासिक ब्याज स्कीम के रूप में प्रचालित होगा तथा खाता धारक के 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु का होने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित राष्ट्रीय बचत (मासिक आय खाता) स्कीम, 2019 पर लागू ब्याज की दर लगेगी ।

(4) स्कीम के अधीन भविष्यलक्षी आधार पर खाते में अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय को जमा करने पर ब्याज संदत्त किया जाएगा और यदि 10 लाख रुपए की निधि के साथ खोले गए एकल खाते से प्रत्येक मास संदेय ब्याज पर दावा नहीं किया जाता है, तो ऐसे ब्याज पर कोई अतिरिक्त ब्याज अर्जित नहीं होगा ।

(5) खाता धारक के 23 वर्ष की आयु का होने पर कोई ब्याज संदत्त नहीं किया जाएगा ।

(6) ब्याज को एक रुपए के निकटतम बहुगुणक तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए पचास पैसा या उससे अधिक की रकम को एक रुपए माना जाएगा तथा पचास पैसे से कम की रकम की उपेक्षा कर दी जाएगी ।

6. **खाते का प्रचालन** – (1) पैरा 3 के उप-पैरा (1) के अनुसार खोला गया खाता (खाते को खोलने की तारीख को अठारह वर्ष से कम के) खाता धारक और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के साथ संयुक्त खाते के रूप में प्रचालित होगा ।

(2) अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के खाता धारक के लिए, पैरा 3 के उप-पैरा (1) के परन्तुक के अधीन, खाता धारक द्वारा केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् एकल खाते के रुप में प्रचालित किया जाएगा ।

7. खाते को समय से पूर्व बन्द करना – (1) अल्पवय खाता धारक की मृत्यु होने की दशा में खाते को प्ररुप-2 में आवेदन पर बन्द कर दिया जाएगा तथा पीएम-केयरनिधि में और पारेषण के लिए एकमुश्त अपफ्रंट अभिदाय संयुक्त खाता धारक को संदत्त किया जाएगा ।

(2) खाते का समय-पूर्व निकासी या बन्द करना अनुज्ञात नहीं होगा ।

8. **खाता बन्द करना** – स्कीम का दृष्टिकोण खाता धारक के 18 वर्ष की आयु का होने के समय अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय 10 लाख रुपए होने का है और जब खाता धारक की आयु 23 वर्ष हो जाती है तो पात्र बकाया खाता धारक को संवितरित कर दिया जाएगा तथा खाते को प्ररुप-2 में आवेदन पर बन्द कर दिया जाएगा ।

9. **स्कीम का प्रबन्धन** – महिला और बाल विकास मंत्रालय नोडल कार्यालय होगा तथा स्कीम को आरम्भ करने और उसके प्रचालन से संबंधित सभी विषयों को देखेगा, जिसके अन्तर्गत समस्या समाधान, फायदाग्राहियों की पहचान, खाते खोलना, अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय का संदाय, स्कीम संबंधी और फायदाग्राही-वार जमाओं और निकासियों का लेखांकन, स्कीम संबंधी जमा करना और चुकाना, कार्यान्वियन के दौरान अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय भी है ।

10. **स्कीम को बन्द करना** – पात्र फायदाग्राहियों के सिवाय स्कीम के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार स्कीम नियत परिपक्वता अवधि (क्लोज एण्डेड) की होगी तथा पीएम-केयर निधि से अपफ्रंट एकमुश्त अभिदाय और बकाया का निपटारा होने पर स्कीम बन्द हो जाएगी ।

11. **साधारण नियमों का लागू होना** – साधारण नियमों के उपबंध, यथासाध्य, उन विषयों के संबंध में लागू होंगे जिनके लिए इस स्कीम में कोई उपबंध नहीं किए गए हैं ।

12. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस स्कीम के किन्हीं उपबंधों के प्रचालन से खाता धारक को असम्यक् कठिनाई हो रही है, तो वह आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उस रीति में जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे खाता धारक के संबंध में उस उपबंध या उपबंधों की अपेक्षा को शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. 14/1/2019.एनएस(भाग.I)]

आशीष वच्छानी, संयुक्त सचिव

प्ररूप -1

प्रधानमंत्री द्वारा बालकों की देखभाल स्कीम, 2021 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन

प्रति

पोस्टमास्टर

…………………………………………………

खाताधारक का फोटो चिपकाएँ

…………………………………………………

श्रीमान,

मैंने/हमने …………………… आपके डाकघर में अवयस्क/स्वयं …………………………….. के नाम पर प्रधानमंत्री द्वारा बालकों की देखभाल स्कीम, 2021 के अधीन खाता खोलने के लिए आवेदन किया है ।

2. मैंने/हमने, प्रारंभिक रूप से ………………… इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण/चेक/डीडीनंबर ………………… …. तारीख.................. रुपए/....................... रुपए जमा किया है।

3. संयुक्त खाताधारक का विवरण

(खाताधारक के अवयस्क होने की स्थिति में ही भरा जाना है): जिला मजिस्ट्रेट,

………………………... जिला

4. खाताधारकों का विवरण इस प्रकार है: -

खाता धारक का नाम	
लिंग	
पिता का नाम	
जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) और शब्दों में	
जन्म प्रमाण पत्र का विवरण (सं./तारीख/जारीकर्ता प्राधिकारी)	
आधार संख्या	
पैन नंबर (यदि उपलब्ध हो)	
मोबाइल नंबर	
ईमेल पता यदि कोई हो	
वर्तमान पता	
स्थायी पता	
संलग्न दस्तावेजों का विवरण (आधार/अन्य)	

5. मेरे/हमारे नमूना हस्ताक्षर

1…………………………2……………………………..3……………………………
(नाम)…………………………………………………………

1…………………………2……………………………..3……………………………..
(नाम)…………………………………………………………

मैं स्कीम और समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों पर लागू स्कीम के उपबंधों और सरकारी बचत प्रोत्साहन नियम-2018 का पालन करने का वचन देता हूं।

खाताधारक/संयुक्त खाताधारक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

तारीख : …………………

नाम निर्देशन

(केवल तभी अपेक्षित है जब खाताधारक ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो)

6. मैं ………………………………………….. नीचे उल्लिखित व्यक्ति (यों) को नामनिर्देशित करता हूं, जिन्हें मेरी मृत्यु की स्थिति में अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर मेरी मृत्यु के समय मेरे खाते में जमा राशि देय होगी।

क्र.सं.	नामनिर्देशिती व्यक्ति का नाम और संबंध	पूरा पता	नामनिर्देशिती व्यक्ति की आधार संख्या (वैकल्पिक)	अवयस्क के मामले में नामनिर्देशिती व्यक्ति की जन्म तारीख	पात्रता का हिस्सा	पात्रता की प्रकृति न्यासी या मालिक
1						
2						
3						
4						

जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट क्रमांक(ओं) …………………………… पर नामनिर्देशिती अवयस्क हैं/हैं,

मैं नामनिर्देशिती (यों) के अवयस्क के दौरान मेरी मृत्यु होने की स्थिति में उक्त खाते के अधीन देय राशि प्राप्त करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी …………… पुत्र/, पुत्री/ पत्नी..................................
………………………………………………………… पता …………………………………. को
…………………………… नियुक्त करता/करती हूं।

1. साक्षी के हस्ताक्षर ………………………………………

नाम और पता ………………………………………………..

2. साक्षी के हस्ताक्षर ………………………………………

नाम और पता ………………………………………………..

खाताधारक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

स्थान:

तारीख:

डाकघर/बैंक के उपयोग के लिए

खाता **…………………………………………**खाता संख्या ________________ तारीख ______________
ग्राहक पहचान संख्या **………………………………………** द्वारा **………………………** (स्कीम का नाम) के अधीन

.... के नाम से खोला गया है।

नामनिर्देशन संख्या **…………………** तारीख**……………** के द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

प्ररूप -2

खाता बंद करने के लिए आवेदन

डाकघर का नाम______________________________

तारीख______________________

खाता संख्या _______________________________

1. मैं पास बुक/जमा रसीद जमा करता हूं और उपरोक्त खाते को बंद करने के लिए आवेदन करता हूं।

2. खाते की परिपक्वता की तारीख ....(केवल उस स्थिति में भरी जानी है जहां खाता परिपक्वता पर या उसके बाद बंद हो जाता है)

3. कृपया खाते में पात्र शेष की राशि मेरे सेविंग बैंक खाता संख्या __________________ को _________________ (खाता कार्यालय का नाम) पर जारी करें।

अथवा

कृपया डिमांड ड्राफ्ट/अकाउंट पेयी चेक जारी करें

खाताधारक/संयुक्त खाताधारक/नामनिर्देशिती/विधिक उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

(अंगूठे का निशान लेखा कार्यालय के परिचित व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए)

संदाय आदेश

(कार्यालय के उपयोग के लिए ही)

तारीख ....

भुगतान विवरण

मूल रकम ____ रुपए

(+) ब्याज बकाया ____ रुपए

(--)अधिक भुगतान किए गए ब्याज की वसूली _________________________________ रुपए

कटौती यदि कोई हो ____ रुपए

कुल बकाया राशि ____ रुपए

संदाय_____________________ रुपए (आंकड़ों में)_______________________(शब्दों में)

तारीख

पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर

ऋणमुक्ति

(खाताधारक/संयुक्त खाताधारक/ नामनिर्देशिती /विधिक उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाना है।)

चेक/डीडी के द्वारा नंबर ……………………तारीख ………………/खाता संख्या ……………में अंतरण द्वारा प्राप्त रु.__________(अंकों में)_______________ (शब्दों में) ।

तारीख

खाताधारक/संयुक्त खाता धारक/नामनिर्देशिती/विधिक
उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2021

G.S.R. 723(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873), the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:-

1. (1)This Scheme may be called the PM CARES for Children Scheme, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,-

(a) "account" means account opened in post offices under this Scheme;

(b) "account holder" means beneficiary child in whose name the account is held;

(c) "Act" means the Government Savings Promotion Act, 1873 (5 of 1873);

(d) "concerned authority" means the Ministry of Women and Child Development for the purpose of coordination and overall management of this Scheme;

(e) "date of event" means the date between the period 11.3.2020 to 31.12.2021 during which the children who had not attained the age of eighteen years, lost both parents or last surviving parent or both adopted parents or sole legal guardian to COVID-19 pandemic;

(f) "date of opening of account" means the date on which the account is opened under the scheme;

(g) "Form" means forms appended to this Scheme;

(h) "General Rules" means the Government Savings Promotion General Rules, 2018;

(i) "joint account holder" means the concerned District Magistrate, who shall act as the guardian for the purpose of operation of the account under the Scheme;

(j) "scheme guidelines" means the guidelines issued by the Ministry of Women and Child Development on PM CARES for Children Scheme, 2021.

(2) Words and the expressions used herein but not defined shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the General Rules.

3. Opening of account.-(1) An account may be opened in the name of a beneficiary with the concerned District Magistrate as joint account holder for an eligible beneficiary who has not attained the age of 18 years on the date of event and has also not turned 18 years on the date of opening of account, in accordance with the scheme guidelines :

Provided that a single account may be opened for a beneficiary otherwise eligible under the scheme guidelines who has turned 18 years or more on the date of opening of the account.

(2) No joint account shall be opened under this Scheme except as provided under sub-paragraph (1) of paragraph 3.

(3)The application for opening an account in Form-1, shall be accompanied with the documents of the eligible beneficiary, as specified by the concerned authority, under the scheme guidelines.

4. Deposits.- (1) The upfront lumpsum contribution shall be made only from the PM-CARES Fund, within one month of opening of the account, in the manner as specified in the Table below:-

(TABLE SHOWING AGE-BASED UPFRONT LUMPSUM CONTRIBUTION)

TABLE

Age of the eligible beneficiary at the time opening of an account	**Maturity (No. of Years)**	**Upfront Lumpsum Contribution (in Rupees) (rounded off)**
1 Year	17	**2,87,870**
2 Years	16	**3,09,750**
3 Years	15	**3,33,290**
4 Years	14	**3,58,620**
5 Years	13	**3,85,870**
6 Years	12	**4,15,200**
7 Years	11	**4,46,750**
8 Years	10	**4,80,710**
9 Years	9	**5,17,240**
10 Years	8	**5,56,550**
11 Years	7	**5,98,850**
12 Years	6	**6,44,360**
13 Years	5	**6,93,330**
14 Years	4	**7,46,030**
15 Years	3	**8,02,720**
16 Years	2	**8,63,730**
17 Years	1	**9,29,370**
18 Years and above	0	**10,00,000**

(2) For purposes of computation of lumpsum contribution from PM CARES Fund, age of eligible beneficiary shall be the number of completed years on the upcoming date of birth.

For example. - The upfront lumpsum contribution amount for 4 month-old eligible beneficiary shall be the amount specified for one year old. Similarly, the upfront lumpsum contribution amount for 12 years 9 months old eligible beneficiary, shall be the amount specified for 13 years old. Any number of months and days shall be rounded off to the next complete year.

(3) Age-based upfront lumpsum contribution, calculated as per sub-paragraph (2) of paragraph 4, shall be deposited in the account of the account holder by referring to the Table and the upfront contribution shall become Rs. 10 lakh when the account holder attains the age of 18 years.

(4) Upon account holder attaining the age of 18 years, the said account with corpus of Rs.10 lakh, shall become a single account of the account holder, and bear the rate of interest applicable on the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, as notified by the Central Government from time to time, for the duration from the account holder attaining the age of 18 years to 23 years.

(5) For a beneficiary otherwise eligible but has attained the age of 18 years or more as on date of opening of account under the proviso of sub-paragraph (1) of paragraph 3, the upfront lumpsum contribution of Rs. 10 lakhs shall be deposited into a single account in the name of the eligible beneficiary and the corpus of Rs. 10 lakhs shall bear the same prevailing rate of interest applicable to the National Savings (Monthly

Income Account) Scheme, 2019, as notified by the Central Government from time to time, for the duration from the date of credit of upfront lumpsum contribution in the account till the account holder attains the age of 23 years.

5. Interest on deposit.- (1) The upfront lumpsum contribution in the account of an eligible beneficiary shall become Rs. 10 lakh when the account holder attains the age of 18 years.

(2)If the account has been opened under sub-paragraph (5) of paragraph 4, the account shall operate as a monthly interest scheme and the monthly interest shall be payable to the account holder on completion of a month from the date of credit of upfront lumpsum contribution in the account.

(3) The single account with a corpus of Rs. 10 lakhs shall operate as a monthly interest scheme once the account holder attains the age of 18 years and shall bear the rate of interest applicable to the National Savings (Monthly Income Account) Scheme, 2019, as notified by the Central Government from time to time, for the duration from the account holder attaining the age of 18 years to 23 years.

(4) Interest shall be paid on the credit of upfront lumpsum contribution in the account on a prospective basis under the scheme and if the interest payable every month from the single account opened with a corpus of Rs. 10 lakhs is not claimed, such interest shall not earn any additional interest.

(5) No interest shall be paid once the account holder attains the age of 23 years.

(6) Interest shall be rounded off to nearest multiple of one rupee and for this purpose any amount of fifty paisa or more shall be treated as one rupee and any amount less than fifty paisa shall be ignored.

6. Operation of account.- (1) The account opened as per sub-paragraph (1) of paragraph 3 shall operate as a joint account with the account holder (below eighteen years as on date of opening of account) and the concerned District Magistrate.

(2) For account holder of eighteen years of age or above, under the proviso of sub-paragraph (1) of paragraph 3, the account shall be operated by the account holder as single account after submitting KYC documents.

7. Premature closure of account.- (1) In the event of death of the minor account holder, the account shall be closed on an application in Form-2 and the lump sum upfront contribution shall be paid to the joint account holder for further transmission to the PM-CARES Fund.

(2) Premature withdrawal or closure of the account shall not be allowed.

8. Closure of account.- The Scheme envisions upfront lumpsum contribution becoming Rs. 10 lakhs at the time of the account holder attaining 18 years of age and when the account holder attains the age of 23 years, the eligible balance shall be disbursed to the account holder and the account shall be closed on an application in Form-2.

9. Scheme Management.– Ministry of Women and Child Development shall be the nodal office and shall look into all matters pertaining to initiation and operation of the Scheme including problem-solving, identification of beneficiaries, opening of accounts, payment of upfront lumpsum contribution, scheme-related and beneficiary-wise accounting of credits or debits, scheme-related pay-in and pay-out, coordination with other agencies during implementation.

10. Closure of the scheme.- The Scheme shall be close-ended except for eligible beneficiaries as per the scheme guidelines and upfront lumpsum contributions from PM CARES Fund and upon settlement of dues, this Scheme shall stand closed.

11. Application of General Rules.- Provisions of the General Rules shall, so far as may be, apply in relation to the matters for which no provisions have been made in this Scheme.

12. Power to relax.-Where the Central Government is satisfied that the operation of any of the provisions of this Scheme causes undue hardship to the account holder, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that provision or provisions in respect of such account holder, in a manner not inconsistent with the provisions of the Act.

[F. No. 14/1/2019.NS (Pt.I)]

ASHISH VACHHANI, Jt. Secy.

FORM -1

Application for opening an account under PM Cares for Children Scheme, 2021

To

The Postmaster

…………………………………………………

…………………………………………………

Paste photograph of the account holder

Sir,

I/We ……………………………………………..hereby apply for opening of an account under PM-CARES for Children Scheme, 2021 in your Post Office in the name of minor /self……………………………..

2. I/We tender herewith Rs…………………../ Rs…………………………………..) in by electronic transfer/cheque/DD No…………………….date…………………………as initial deposit.

3. The details of the joint account holder

(To be filled only in case of account holder is a minor): The District Magistrate,

………………………...District

4.The details of account holder are as under: -

Name of account holder	
Gender	
Father's Name	
Date of Birth (DD/MM/YYYY) and in words	
Details of Birth Certificate (No./Date/issuing authority)	
Aadhaar Number	
PAN Number (If available)	
Mobile Number	
Email address if any	
Present Address	
Permanent Address	
Details of documents attached (Aadhaar/Others)	

5. My/our specimen Signatures

1…………………………2…………………………….3……………………………
(Name)………………………………………………………

1…………………………2……………………………..3……………………………..
(Name)………………………………………………………

I hereby undertake to abide by the scheme provisions and Government Savings Promotion rules-2018 applicable on the Scheme and amendments issued thereto from time to time.

Signature or thumb impression of account holder / joint account holder

Date: …………………

Nomination

(Required only when the account holder has attained the age of 18 years)

6. I………………………………………..hereby nominate the person(s) mentioned below to whom to the exclusion of all other persons in the event of my death the amount standing to my credit at the time of my death would be payable.

S.No.	Name(s) of the nominee(s) and relationship	Full address (s)	Aadhaar number of nominee (optional)	Date of birth of nominee in case of minor	Share of entitlement	Nature of entitlement Trustee or owner
1						
2						
3						
4						

As the nominee(s) at Serial No.(s)……………………………………specified above is/are minor(s), I appoint
Shri/Smt/Kumari………………………………………………..S/o,D/o,W/o………………………………
………………………………………..Address…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………to receive the sum due under the said account in the event of my death during the minority of the nominee(s).

1. Signature of witness…………………………………….

Name & Address……………………………………………..

2. Signature of witness…………………………………….

Name & Address……………………………………………..

Signature or thumb impression of account holder

Place:

Date:

For use of Post Office/Bank

The account has been opened in the name of ……...............................…………………………..on ………………..under ……………………………………… (name of the scheme) vide Account No.______________________dated_____________________.

Customer identification Number…………………………………………..............................………

Nomination has been registered vide No………………………dated……………

Signature and seal of competent authority.

FORM -2

Application for closure of account

Name of Post Office ___________________________ Date___________________

Account Number____________________________

1. I hereby submit pass book/deposit receipt and apply for closure of the above-mentioned account.

2. Date of maturity of the account is ……………………….(To be filled only in case where the account is closed on maturity or after)

3. Please issue the amount of eligible balance in the account to my SB Account no.___________________ standing at______________________(Name of Account office).

or

Please issue a Demand Draft/account payee cheque

Signature or thumb impression of account holder/joint account holder/nominee(s)/legal heir(s)

(Thumb impression should be attested by a person known to Accounts office)

Payment Order

(For office use only)

Date ....

Payment detail

Principal amount Rs.____

(+) Interest due Rs. ____

(-) Recovery of overpaid interest Rs.____

Deduction if any Rs____

Total Amount due Rs____

Pay Rs.____________________(in figurers)_____________________________________(in words)

Date

Signature of Postmaster

Acquittance

[to be filled by account holder/joint account holder/nominee(s)/legal heir(s)]

Received Rs .______________(In figures)________________________ (in words) By cheque/DD bearing no……………………………………dated…………………./by transfer to Account No...............................

Date

Signature/thumb impression of account holder/joint account holder/nominee(s)/legal heir(s)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.07 22:27:42 +05'30'